उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

29/5/19 पत्रावली रीगइरे पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा......ओडियाना......... पटवार मण्डल ......ओडियाना...... तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ......127/51/531...... .... रकबा 0.4321 हे.... ...र/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे ... जिसकी कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः ...गोलदार डूंगला को 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये ... पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया ... है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा ......ओडियाना......... पटवार मण्डल......ओडियाना........ तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ......127/51/53 रकबा 0.4321हे....... ....

रकबा/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुक्मल तौर पर की जावें। पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक ......28/6/19...... तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Scanned by CamScanner